

Eastern Railway

Serial No. 56/2015

No. E. 886/0/Vol. IX

Kolkata dated 06.05.2015

All Concerned

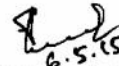
Sub: Retention of Railway quarter - Consolidated
clarification regarding.

=====

The following copy of Railway Board's letter No. E(G)2011 QR1-15 dated 28.04.2015 (RBE No. 38/2015) alongwith consolidated revised position as approved by full Board on 10 queries on the subject contained in Annexure "A" is appended for information, guidance and necessary action.

DA: As above.

Index No. 1062: Consolidated clarification on 10 queries on the subject of retention of Railway quarters and house allotment applicable to various situations such as transfer, deputation, retirement, death etc.



(S. Ganguly)

Asstt. Personnel Officer/R & Bills
for Chief Personnel Officer

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

NO.E (G) 2011 QR1-15**New Delhi, Date: ²³28/04/2015**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(As per standard list).

Sub: Retention of Railway quarter- Consolidated clarification regarding.

There are various policies framed from time to time and revised subsequently on house allotment/retention applicable to various situations such as transfer, deputation, retirement, deputation to Railway PSUs/Non-Railway PSUs, posting as faculties in Training Institutes/ Chairmen RRB and to projects etc. Besides the normal relaxations granted for quarter retention in cases of transfer, retirement, death etc., the Board in exercise of its power to relax in the existing policies on house allotment/retention, sanctions from time to time, relaxations for various tenures in different categories of cases such as chairman RRB, New Zones/divisions, USBRL project, Training Institutions etc.

Of late this office has been receiving queries from various sources relating to subject in various forms as listed in the table given as Annexure-"A". The matters, in a consolidated form, have been examined by the full Board and the decisions taken in respect of each of such queries/proposals etc. are noted against each of the queries in the said table.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Please acknowledge receipt.


(S.K.PANDA)

Deputy Director Estt.(Gen.)

NO:E(G) 2011 QR 1-15**New Delhi, Dated: ²³28/04/2015**

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (copy with 46 spares).


For Financial Commissioner/Railways.

Contd. in Page 2/-

NO:E(G) 2011 QR 1-15

New Delhi, Dated: ²³28/04/2015

Copy forwarded to:

1. General Secretary, IRCA, New Delhi.
2. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
3. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.



(S.K.PANDA)

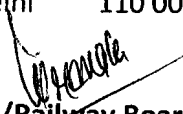
Deputy Dir. Estt. (Gen.)

NO:E(G) 2011 QR 1-15

New Delhi, Dated: ²³28/04/2015

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares).
3. The Secretary General, IRPOF (with 5 spares).
4. All Members of the National Council/Department Council and Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
5. The Secretary General, FROA, New Delhi (with 5 spares).
6. The General Secretary, RPF Association, Room No. 256 D, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
7. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association (with 5 spares).
8. The President, Railway Board Class II Officers' Association (with 5 spares).
9. The President, Indian Railways Class II Officers' Association (with 5 spares).
10. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares).
11. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares).
12. The Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi 110 001.



for Secretary/Railway Board.

Copy to: PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to:-

MR, MOSR, CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg.), AM(Projects), AM(Sig), AM(MS), AM(Mech), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Tele), AM(T), AM(V), AM(Works), Adv.(F), Adv.(IR), Adv.(Safety), Adv.(S), DG/RHS, DG/RPF, Secretary, ED(Plg.), ED(A), DF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS) EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM) EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(L&A)III, D(L&A), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev)' EDME(W), EDPC-I, ED(Plg.), ED(PP), ED(Proj), ED(Proj.)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(SIG.), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), ED Track(M), ED/Track(MC), ED/Track(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), IG/RPF(Hqs), IG/RS, JS, JS(C), JS(D), JS(E), JS(G), JS(P) F(X)II, F(X)I (with 10 spares), G(Acc.), Budget Br. LM(B), Sec.(E), Sec(ABE), E(NG)I, E(NG)II, E(Rep.)I,II,III, E(LR)I, II & III Branches of Railway Board.

TABLE

S.No.	Queries	Existing position	Revised position as approved by full Board.
1.	Whether the period of eight months (two months on normal rent and remaining 06 months at the rate double the normal rent/special license fee) permissible under normal transfer would be applicable in addition to the relaxations granted in case of new zones/divisions?	Except for ECR and NWR quarter retention was allowed till 31-08-2009. In cases of ECR and NWR retention is at present allowed up to 31-12-2015.	Further relaxation of 02 months that is granted in case of normal transfer may also be granted in addition to the special relaxations granted from time to time in cases of officers/staff posted to new zones/Divisions .
2.	Whether the scholastic session includes the maximum permissible period in case of transfer?	Scholastic session includes the maximum permissible period of 08 months retention allowed in case of permanent transfer. However, where the session exceeds 08 months the retention is allowed up to end of the current year session plus 15 days	Scholastic session includes the maximum permissible period of 08 months retention allowed in case of permanent transfer. However, where the session exceeds 08 months the retention is allowed up to end of the current year session plus 15 days.
3.	Whether scholastic session means the whole period/tenure of course or the ensuing session?	Retention is allowed, in case of permanent transfer, maximum to cover the current academic session.	It does not mean the whole tenure of the course but the current session only whatever may be the tenure of the course.
4.	Whether the period permissible under normal transfer would be applicable in addition to the relaxations granted in case of Training Institutes?	Full tenure retention is allowed in case of postings as faculties in the Trg. Institutes.	Further relaxation of 02 months granted in case of normal transfer may be granted in addition to the special relaxations granted.
5.	Whether the earmarked quarter can be retained after retirement/transfer after the permissible period of two months?	Non -pooled /earmarked quarters can be retained maximum up to 02 months on normal rent.	Since the earmarked quarters are meant for higher postings retention may not be allowed beyond two months under any circumstances.
6.	Whether the earmarked quarter can be retained after retirement after the permissible period of two months under severe illness clause?	Earmarked quarter can be retained maximum for two months period either in case of transfer or retirement.	Retention is allowed in alternative accommodation in any place of choice for the remaining 06 months. The cases with severe illness may be covered under those alternative provisions.



7.	Whether the relaxations granted under school education etc are applicable in addition to the special dispensations etc?	Retention allowed under education/medical ground for maximum period of 06 months. However, in case of transfer in between academic session up to a maximum period up to the end of the academic session plus 15 days but subject to whichever is more of the two above.	Except for scholastic ground which may cover the session and go beyond the maximum permissible period of 08 months it is inclusive of the normal permissible period.
8.	Whether the period of eight months (two months on normal rent and remaining 06 months at the rate double the normal rent/special license fee) permissible under normal transfer would be applicable in addition to the relaxations granted in case of Chairmen/RRBs?	Retention is allowed at previous place of posting for a period not exceeding 3 years on payment of normal rent.	Further relaxation of 02 months granted in case of normal transfer may be granted in addition to the special relaxations granted.
9.	Whether the period of eight months (two months on normal rent and remaining 06 months at the rate double the normal rent/special license fee) permissible under normal transfer would be applicable in addition to the relaxations granted in case of posting to J-USBRL(both new line and open line) construction project?	Retention is allowed up to 31-03-2018 or the completion of project whichever is earlier.	Further relaxation of 02 months granted in case of normal transfer may be granted in addition to the special relaxations granted.
10.	Whether re-allotment of quarter in previous place of posting is allowed in case retention is allowed or extended subsequently for the sake of availing retention facility granted post vacation?	No such allotment is made for the purpose of availing retention facility.	Re-allotment of Railway accommodation will not be eligible in the previous place of posting once the same is vacated.



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2011/क्यूआर1-15

नई दिल्ली, दिनांक 28/04/015

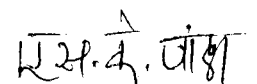
महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे आवास को अपने पास रखने से संबंधित समेकित स्पष्टीकरण।

विभिन्न परिस्थितियों जैसे स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, रेलवे की सार्वजनिक इकाइयों/गैर-रेलवे सार्वजनिक इकाइयों पर प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी के रूप में/अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड और परियोजनाओं आदि में तैनाती पर आवास का आबंटन/उसे अपने पास रखने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं और इनमें तत्पश्चात संशोधन किया गया है। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि से संबंधित मामलों में क्वार्टर को अपने पास रखने के लिए प्रदान की गई सामान्य छूट के अलावा, बोर्ड आवास का आबंटन/उसे अपने पास रखने के संबंध में छूट प्रदान करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर भिन्न-भिन्न कोटियों जैसेकि अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, नए जोनों/मंडलों, यूएसबीआरएल परियोजना, प्रशिक्षण संस्थानों आदि के मामले में विभिन्न समयावधियों के लिए छूट प्रदान करता है।

हाल ही में इस कार्यालय में, विभिन्न स्रोतों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें तालिका के रूप में अनुलग्नक "क" में दिया गया है। इन मामलों पर समेकित रूप से पूरे बोर्ड द्वारा जांच की गई है और ऐसे प्रत्येक प्रश्नों/प्रस्तावों आदि के संबंध में लिए गए निर्णयों को उक्त तालिका में प्रत्येक प्रश्न के सामने दर्शाया गया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
4. कृपया पावती दें।



(एस. के. पांडे)

उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं. ई(जी)2011/क्यूआर1-15

नई दिल्ली, दिनांक 28/04/015

प्रतिलिपि को अग्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां ।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(मि. आर.डी. शर्मा)
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(जी)2011/क्यूआर1-15

नई दिल्ली, दिनांक 28/04/015

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
3. निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक/ इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकंदराबाद।

(एस. के. पाण्डा)
(एस. के. पाण्डा)

उप निदेशक, स्थापना (सा.)

सं. ई(जी)2011/क्यूआर1-15

नई दिल्ली, दिनांक 28/04/015

प्रतिलिपि प्रेषित

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 2) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 3) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 4) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 5) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 6) जनरल सेक्रेटरी, आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 7) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 8) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 9) अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 10) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 11) सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 12) सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली 110001.

(सचिव)
कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड.

तालिका

क्रम सं.	प्रश्न	मौजूदा स्थिति	पूरे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात यथा संशोधित स्थिति
1.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और शेष बचे छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) नए जोनों/मंडलों के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे को छोड़कर अन्य के लिए 31-08-2009 तक आवास को अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस समय पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के मामले में 31-12-2015 तक आवास को अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।	नए जोनों/मंडलों में तैनात किए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर प्रदान की गई विशेष छूट के अतिरिक्त सामान्य स्थानांतरणों में प्रदान की जाने वाली दो माह की और छूट भी प्रदान की जाएगी।
2.	क्या स्थानांतरण के मामले में अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है?	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास को अपने पास रखने के लिए 08 माह की अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है। बहरहाल, जहां कहीं विद्यालयी सत्र की अवधि 08 माह की अवधि से ज्यादा होती है तो ऐसे मामलों में चालू वर्ष के सत्र की समाप्ति + 15 दिन तक आवास अपने पास रखने की अनुमति होगी।	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास को अपने पास रखने के लिए 08 माह की अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है। बहरहाल, जहां कहीं विद्यालयी सत्र की अवधि 08 माह की अवधि से ज्यादा होती है तो ऐसे मामलों में चालू वर्ष के सत्र की समाप्ति + 15 दिन तक आवास अपने पास रखने की अनुमति होगी।
3.	क्या विद्यालयी सत्र का आशय कोर्स की समस्त अवधि/सत्र अथवा आगामी सत्र है?	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास अपने पास रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चालू शैक्षिक सत्र की अवधि तक की ही अनुमति है।	इसका आशय कोर्स की पूरी अवधि नहीं है अपितु केवल चालू सत्र है, चाहे कोर्स की अवधि जो भी हो।
4.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय अवधि प्रशिक्षण संस्थानों के मामले में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी?	प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी के रूप में तैनाती के मामलों में पूरे कार्यकाल के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
5.	क्या सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण की स्थिति में दो माह की अनुमेय अवधि के बाद चिह्नित आवास को अपने पास रखा जा सकता है?	नॉन पूल/चिह्नित आवास साधारण किराए पर अधिकतम 02 माह तक के लिए अपने पास रखा जा सकता है।	चूंकि चिह्नित आवास उच्चतर तैनातियों के लिए होते हैं इसलिए किसी भी स्थिति में दो माह से अधिक इन्हें अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	क्या चिह्नित आवास सेवानिवृत्त होने पर दो माह की अनुमेय अवधि के पश्चात गम्भीर बीमारी के खण्ड के तहत अपने पास रखा जा सकता है?	चिह्नित आवास स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति किसी भी मामले में अधिकतम दो माह की अवधि तक अपने पास रखा जा सकता है।	बकाया 06 माह के लिए पसंद के किसी स्थान पर वैकल्पिक आवास अपने पास रखने की अनुमति है। गम्भीर बीमारी से संबंधित मामलों पर इन वैकल्पिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

Rajendra

7.	क्या स्कूली शिक्षा आदि के अंतर्गत प्रदान की गई छूट विशेष व्यवस्था आदि के अतिरिक्त लागू होती है।	शैक्षणिक/चिकित्सकीय आधार के अंतर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति है। बहरहाल, शैक्षिक सत्र के मध्य में स्थानांतरण होने के मामले में अधिकतम शैक्षिक सत्र की समाप्ति + 15 दिन जो भी उक्त दोनों में से अधिक हो, तक आवास अपने पास रखने की अनुमति है।	विद्यालयी आधार जिसमें सत्र की अवधि शामिल है, और जो 08 माह के लिए प्रदान की गई अधिकतम छूट से ज्यादा हो सकती है, को छोड़कर इसमें सामान्य अनुमेय अवधि शामिल है।
8.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और बाकी बचे छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	पिछली तैनाती के स्थान पर आवास को अपने पास रखने के लिए साधारण किराए के भुगतान पर 3 वर्ष से अधिक अवधि की अनुमति नहीं है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
9.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और शेष छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) जे-यूएसबीआरएल (नई लाइन तथा ओपन लाइन दोनों के लिए) निर्माण परियोजना के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	आवास को 31-03-2018 तक अथवा परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, अपने पास रखने की अनुमति है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
10.	क्या आवास खाली कर देने के बाद आवास को अपने पास रखने के लिए पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर को पुनः आबंटित करने अथवा बाद में उसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति है?	आवास को अपने पास रखने की सुविधा का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई आबंटन नहीं किया जाए।	एक बार आवास को खाली कर दिए जाने के बाद पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास का पुनःआबंटन नहीं किया जाएगा।

अधीनस्थ